

आदेशः

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय(उत्तर-कन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुमाष रोड देहरादून के पत्र सं ४८ी/य०सी०पी०/०६/ १५/२०१९/एफ०सी०/१७७८ दिनांक ०८.११.२०१९ के द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर चिकास खण्ड में मरोड से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० ३ से कुण्ड ८.१२५ कि०मी० तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ५.१४१५ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु याम कुण्ड पट्टी सकलाना की १०.२८३ है० सिविल भूमि(उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी धनोल्टी के पत्र संख्या-२३/२०का० (भूमि हस्तान्तरण) -२०. दिनांक धनोल्टी, २४ जनवरी २०२० के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि निर्माण प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्कम(है०मे)	भूमि की किस्म
१	२	३	४	५	६
कुण्ड	सकलाना	१४	१४८५	५.६१७ है०	उत्तराखण्ड सरकार
			१५१३ मध्ये	४.६६६ है०	वर्गी ९(३)ड.
				१०.२८३ है०	

प्रस्तावित मरोड से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० ३ से कुण्ड ८.१२५ कि०मी० तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या -२८८२/XVIII(II)/ ११-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक ११ नवम्बर २०११ एवं शासनादेश संख्या -२३६५/XVIII(II)/१३-१८ (१२०)/२०१० टी०सी० दिनांक १४ अक्टूबर २०१३ के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/ मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या २१७३/XVIII(II)/२०१२-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग -२ दिनांक १७ दिसम्बर २०१२ के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये याम कुण्ड पट्टी सकलाना के खाता संख्या-१४ के खसरा नम्बर १४८५ रक्कम ५.६१७ है० एवं खसरा नम्बर १५१३ मध्ये ४.६६६ है० कुल रक्कम १०.२८३ है० (दस दशमलव दो आठ तीन है०) श्रेणी ९(३)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/ मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

पंजिका सं-०८

क्षर्व २१९-२२०

प्रिलिपि XI मिल्ल १२८

प्रिलिपि सं- (२०१९-२२१)
२२०६-१७-२०

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- ५०७/XI-१२४(२०१८-१९) दिनांक नई टिहरी, फरवरी, १७.२०२०

प्रतिलिपि:- निर्माणित को सूनगार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- २- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
- ३- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ४- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५- प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
- ६- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एरा०वाई०, (लो०नि�०वि०) सिंचाई खण्ड-२ नई टिहरी।
- ७- उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
- ८- तहसीलदार धनोल्टी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

21. बी
(डा०वी०षुणमुगम)

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

21. बी
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक ०५/०३/२०२० को जनपद - टिहरी गढ़वाल के औरंगाबाद जौनपुर विकास ब्यवहार के अन्तर्गत रायपुर - कुमाला - कदुखाल मोटर सार्ग के क्रिंसी ३५ से घीना तक मोटर सार्ग के निर्माण हेतु २.०४२८ हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए पी.एन.जी.एस.वाई.सिं.ए.२ नई टिहरी, को प्रत्यार्वतन के फलस्वत्तप राजस्व विभाग के सहाय अधिकारियों द्वारा आंबित्र शत्रिष्ठु वृक्षारोपण हेतु ग्राम घीना के हाल मात्रा सं. - ॥ यसमा नम्बर - ३०५ रकमा २.१० है, यसमा सं. - ३१। रकमा ०.२६० है, एवं यसमा सं. - ५२० रकमा ०.७१४ है, कुल रकमा ३.०७१ है। ~~नरेन्द्र नगर वन प्रभाग~~ (नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत) सर्वे उत्तराखण्ड सरकार द्वयी १(३) ड (राजस्व विभाग के नियन्त्रणीय) कृषि ग्रोम बंजर भूमि है, वन क्षेत्राधिकारी सकलाना रैप द्वारा सम्बन्धित अनुभाग, अधिकारी एवं बीट अधिकारी द्वारा मौके पर राजस्व विभाग द्वारा चिह्नित शत्रिष्ठु वृक्षारोपण हेतु व्यनित शक्ति को अपने कर्त्त्व में ले ली गई है,

मेरि
Sugan
J. L.
PMGSY
ID-2 New Tehri

राजस्व विभाग
उत्तराखण्ड सरकार
टिहरी गढ़वाल क्षेत्र

जानवाला नगर
मुख्यमंत्री अधिकारी
राजस्व विभाग
ग्राम घीना

निमित्त
(निमित्त विभाग
निमित्त विभाग
निमित्त विभाग)

अमलदामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत रायपुर-कुमाल्डा कददूखाल मोटर मार्ग के किमी 35 से धेना तक मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0826 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्या के लिए पी0एम0जी0एस0वाई0 रिंख0-2, नई टिहरी, नई टिहरी को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप राजस्व विभाग के राजस्व अधिकारियों द्वारा आवंटित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धेना के हाल खाता संख्या-11 के खरारा नम्बर 291 रकवा 1.048 हेतु, खसरा नम्बर 301 रकवा 0.336 हेतु खरारा नम्बर 304 रकवा 2.101 हेतु, खरारा नम्बर 391 रकवा 0.260 हेतु एवं खसरा नं- 420 रकवा 0.718 हेतु कुल रकवा 4.463 हेतु मध्ये 4.165 हेतु उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3) ड(राजस्व विभाग के नियन्त्राधीन) कृषि योग्य बंजर भूमि है। वन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेज द्वारा मौके पर राजस्व विभाग द्वारा विनियत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को अपने कब्जे में ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

मम
२५/०३/२०२०

राजस्व उपनियोगकक्ष
त्यारी
राजस्वील - घनोल्टी
जौनपुर गढ़वाल

२५/०३/२०२०

विनियोगकक्ष
(विनियोगकक्ष वनवज्जन निधि
गठन)

२५/०३/२०२०

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग किमी 35 से धेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल / रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कद्दुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

परियोजना का प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग नहीं किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम

:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कद्दुखाल मोटर मार्ग किमी 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा अथवा Strip Plantation हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में स्थानन्तिरत कर दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कद्दुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय देख-रेख में अथवा प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो वन विभाग द्वारा किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नहीं फेंका जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कद्दुखाल मोटर मार्ग किमी 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता कि परियोजना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता विभाग की जिम्मेदारी होगी। तथा अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन् एंव वन्य जीव के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयोक्ता विभाग उक्त शर्तों का अनुपालन करेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-2 नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-2 नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-2 नई टिहरी

जारी किया गया नोट्स २०२० में १४२२ फॉर्म - १४२७ फॉर्म ग्राम - दोना
पटी - मनमाला नाम, तदनील - घनोलटी, जिला - टिहरी गाँधीगढ़।

मूलख प्रपत्र सं० ० प-११ ग्रामी दृष्टि (३) इ-ग्राम वैद्यकीय बंजर खुक्की -

११	३ तसविर ग्रामी दृष्टि	१	०.०५३	
	दृष्टि (३) इ-ग्राम वैद्यकीय बंजर खुक्की	१५	०.०१३	
		१७	०.००४	
		२२	०.००५	
		२८०	०.००५	
		२९१	१.०४८	
		२९६	०.०१९	
		२९८	०.०१८	
		३०१	०.३३६	
		३०४	२.१०१	
		३०६	०.०९९	
		३९०	०.०७०	
		३९१	०.२६०	
		३९३	०.०१५	
		४११	०.१५०	
		४२०	०.७१८	
		४२२	०.६९८	
		२७४७	०.०९८	
		२७४८	०.०८०	
		१६४०	०.०२३	
		२७५६		
		दोना ३०३	७०.५३९	दृष्टि ग्रामी नोट्स के नोट्स तथा ग्रामी दृष्टि
				मुख्य २२/१२/२०२०
				राजस्व उपनियोगकर्ता
				लवार्या
				करसील - घनोलटी
				ग्रामी

— प्रधानमंत्री प्रांग राज्यका वाजना के लिए वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, कुमाल्डा—कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल (69+115 मसूरी वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालड़ा-कददुखाल मोटर मार्ग किमी 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

एनोपीओवी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एनोपीओवी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एनोपीओवी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एनोपीओवी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग किमी 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 2.0825 है 0 है, के हस्तान्तरण मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षेत्र 4.165 है 0 सिविल सोयम भूमि मौजा घेना का दिनांक *4 Dec, 2019* को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इस सम्पूर्ण क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 4.165 है 0 में हरियाली का घनत्व 0.4 से कम है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसमें 1000 पौध प्रति है 0 वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है।



सहायक अधिकारी - चबूर्थ
पीठमालजीएस०बाई, सिंहखो-
नई टिहरी




प्रभागीय वनाधिकारी
वृक्षारोपण
रायपुर रेज.
मसूरी वन प्रभाग

Faruq Ram वृक्ष
स्थानकार्यालय
वन विभाग
वादल प्रभाग

चप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी



वन बोर्ड
रायपुर रेज.
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम

:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग किमी 35 से धेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०ए०जी०ए०स०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददुखाल मोटर मार्ग किमी 35 से धेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वितीय कार्यालय(उत्तर-कन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुगाम रोड देहरादून के पत्र रां ४३/य०३०१०/०६/६३/२०१९/एफ०री०/२११२ दिनांक १७.१२.२०१९ के द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रायपुर-कुमाल्डा गोटर मार्ग किमी० ३५ से धेना गांव मोठर मार्ग के निर्माण हेतु २००२५ है० वन भूमि पर ऐर नालिकी कार्यों के दृष्टिगत ग्राम्य विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु ग्राम धेना पट्टी राकलाना की ४.१६५ है० रिपिल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के रखागिल) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उक्त के क्रम में उपलिलिकारी घनोल्टी के पत्र रांख्या-२२/रजि०का० (जांच) - २०, दिनांक धनोल्टी, २४ जनवरी २०२० द्वारा ग्राम धेना पट्टी सकलाना की भूमि निम्नता प्रत्यावर्तन की गई है।

ग्राम धेना पट्टी सकलाना की भूमि निर्माता प्रत्यावित को गई है।					
ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खरारा संख्या	अर्जित रकवा(हे०मे)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
धेना	सकलाना	11	291 मध्ये	0750 है०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			301	0.336 है०	
			304	2.101 है०	
			391	0.260 है०	
			420	0.718 है०	
		योग-		4.165 है०	
			35	किलोमी०	35 से धेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हे

प्रस्तावित रायपुर-कुमालडा मोटर मार्ग किमी 35 से धेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या -2882/XVIII(II)/ 11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मात्र उच्चतम न्यायालय/मात्र उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

आदेश का अनुपालन करना होगा।
 अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010राजस्व अनुभाग -2
 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम घेना
 पट्टी सकलाना के खाता संख्या-11 के खसरा नम्बर 291 मध्ये रक्वा 0.750 है, खसरा 301रक्वा 0.336 है,
 खसरा 304 रक्वा 2.101है, 391 रक्वा 0.260 है, 420 रक्वा 0.718है, कुल 4.165 है (चार दशमलव एक
 छःपाँच है) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उत्तिलिखित शासनादेशों के
 आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु
 अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित
 /इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

२१. भ्र
(डा०वी०षणमुग्गम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

संख्या- ५२२ / XI-¹³¹ कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल। दिनांक, नई टिहरी, फरवरी, १९, २०२० विभागित को सचनार्थ एवं आवध्यक कार्यावाही हेतु। देखान्तर।

प्रतिलिपि:- निमांकित को सूचनाथ एवं आपरेक्ट विभाग जस्तराखण्ड शासन देहरादून।

- पि:- निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः-

1- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।

3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

4- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।

5- प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरती / मसूरी।

6- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिं०ख०-२ नई टिहरी।

7- उप जिलाधिकारी धनोल्टी।

8- तहसीलदार धनोल्टी को अनुपालनार्थ प्रेपित।

प्र. ४